




किवानाराज / चौकलपान

ख न	हुस या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुस की तामील में जारी हुए
२०/१२/२०२१	पञ्चावली पैरा। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पञ्चावली वास्तव मायम मुकाम समत पुनः पैरा करके लाब दि० ०५/०२/२०२१ को पैरा ही 	
०५/०२/२०२१	पञ्चावली पैरा। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अधिवक्ता सावजन रूप से मायम मुकाम समत पैरा करे। पञ्चावली अर्द्धादि दि० १२/०२/२०२१ को पैरा ही 	
१२/०२/२०२१	पञ्चावली पैरा। अपीलर अधिवक्ता अनुपस्थित रेस्पॉन्डर अधिवक्ता उपस्थित। पञ्चावली के अवलोकन से पाया कि दिनांक १२/०१/२०२० से अपीलर अधिवक्ता को मायम मुकाम समत पुनः पैरा करके लाब औरागरे सकल उपाय करने के पश्चात् भी मायम मुकाम समत पैरा नहीं मिले गये तथा दिनांक २२/०१/२०२१ से भी मायम मुकाम समत पुनः पैरा करके लाब जाही/अपीलर अधिवक्ता को निर्दिष्ट किया गया, परन्तु उक्त दिनांक तक मायम मुकाम समत पैरा नहीं मिले गये। अतः अपीलर की अपील अर्द्धादि ए५ UR अक्ट अन्तर्गत अपीलर के स्वार्थ की जाती है पञ्चावली पैरा अनुकार होकर करे नकर से कर लेकर कोकर करके ही निर्दिष्ट मायम मुकाम १२/०२/२०२१ को करके लाबार्थ में सुनाया गया 	

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

